(1)

राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर झुंझुनू

(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/केम्प कोर्ट) कैम्प ग्राम पंचायत खाजपुर नया

प्रकरण संख्या 216/2015

1. गिरधारी पुत्र मोकाराम
2. तेजपाल सिंह पुत्र गिरधारी
3. सुरेन्द्र पुत्र गिरधारी
4. सन्दीप पुत्र गिरधारी

} जाति जाट निवासी खाजपुर नया तहसील व जिला झुंझुनू

वादीगण–

बनाम

1. भूमि अधिकारी तहसीलदार तहसील व जिला झुंझुनू

प्रतिवादीगण–

दावा घोषणार्थ व बंटवारा

दिनांकः–02.05.2018

निर्णय

आज यह पत्रावली राजस्व लोक अदालत ग्राम पंचायत खाजपुर नयां में पेश हुई। प्रार्थी (वादी) उपस्थित। वादीगण ने वाद का अन्तिम डिकी करने का निवेदन किया। वाद वादी लोक अदालत की भावना से आदेश मे ली जाकर विचार विमर्श किया गया। वादीगण के वाद के संक्षेप्प मे तथ्य इस प्रकार से है कि वाद वादी दिनांक 20.03.2017 को प्राथमिक रूप से स्वीकार किया जाकर तहसीलदार झुंझुनू से विभाजन प्रस्ताव मंगवाया गया। तहसीलदार झुंझुनू ने अपने पत्र कमांक राजस्व/2016/942/दिनांक 24.04.2017 ग्राम हेजमपुरा व पत्र कमांक 1231/दिनांक 12.05.2017 ग्राम खाजपुर नयां के द्वारा विभाजन प्रस्ताव पेश किया। विभाजन प्रस्ताव पर वादीगण को सुना गया। वादीगण ने मुताबिक विभाजन प्रस्ताव के वाद अन्तिम रूप से डिकी करने पर अपनी सहमति व्यक्त की। विभाजन प्रस्ताव मुताबिक न्यायालय के प्राथमिक निर्णय व डिकी अनुसार है। अतः वाद वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव डिकी किया जाना न्यायोचित है। अतः

आदेश

वाद वादीगण मुताबिक विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया जाकर अन्तिम डिकी किया जाता है कि ग्राम खाजपुर नयां व ग्राम हेजमपुरा तथा ग्राम कालीपहाड़ी तहत तहसील झुंझुनू का प्राप्त विभाजन प्रस्ताव निर्णय व डिकी का भाग रहेगा। तहसीलदार झुंझुनू को आदेशित किया जाता है कि लैण्ड रिकार्ड रूल्स के नियम 62 के अनुसार मिन नम्बरान को संशोधित कर नक्शा ट्रेस मे तरमीम व राजस्व रिकार्ड मे मुताबिक विभाजन प्रस्तावों के अनुसार अमल दरामद कर पालना करे। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करे। तदनुसार पर्चा डिकी जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो एवं वाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। आदेश आज दिनांक 02.05.2018 कैम्प मुकाम ग्राम पंचायत खाजपुर नया मे सुनाया गया।

(अलका विश्नोई)
उपखण्ड अधिकारी झुंझुनू
उपखण्ड अधिकारी
झुंझुनू (राज.)

Scanned by CamScanner